भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2209

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उपशामक देखरेख केंद्र

†2209. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एसोसिएशन फॉर सोशली एप्लीकेबल रिसर्च द्वारा गैर-सरकारी संगठन पैलियम इंडिया के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में प्रति दस मिलियन लोगों पर केवल चार उपशामक देखरेख केंद्र हैं, जिससे लाखों लोग कैंसर, दीर्घकालिक बीमारियों और लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें समय पर दर्द निवारक या सहायता नहीं मिल पाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश बड़े राज्यों में गंभीर रूप से उपशामक देखरेख केंद्रों का अभाव है, जबकि केरल भारत की केवल 2.5 प्रतिशत जनसंख्या के साथ एक उत्कृष्ट मॉडल है, जहाँ देश के 44.5 प्रतिशत उपशामक देखरेख केंद्र हैं और इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में देश की 17 प्रतिशत जनसंख्या पर केवल 12 केंद्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में और अधिक उपशामक देखरेख केंद्र स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय उपशामक देखभाल कार्यक्रम (एनपीपीसी) सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में, एनपीपीसी के अंतर्गत उपशामक देखभाल सेवाएं लगभग 600 जिलों में प्रचालनरत हैं। राष्ट्रीय उपशामक देखभाल कार्यक्रम (एनपीपीसी) के अंतर्गत उपशामक देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले जिला अस्पतालों की राज्य-वार जानकारी अनुबंध-I में दी गई है। प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा गृह आधारित उपशामक देखभाल सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनपीपीसी के अंतर्गत बहिरंग रोगियों, अंतरंग रोगियों और गृह आधारित उपशामक देखभाल सेवाओं का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर पर दी जाने वाली 12 आवश्यक सेवाओं में से एक उपशामक परिचर्या है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक परिचर्या शामिल है। सरकार एएएम में विशेषज्ञों तक पहुंच प्रदान करने के लिए टेली-परामर्श सेवाओं का भी लाभ उठा रही है और परिचर्या में सहायता के लिए समुदाय-आधारित पहल लागू कर रही है।

आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और सामुदायिक स्वयंसेवकों को समुदाय में बिस्तर पर पड़े मरीजों और उपशामक परिचर्या की आवश्यकता वाले अन्य लोगों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे नियमित रूप से घर-घर जाकर मरीजों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं और उचित रेफरल की सुविधा देकर देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। एएएम में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) परिचर्या की निगरानी करते हैं और नियमित चिकित्सा परिचर्या, दर्द प्रबंधन और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं।

*****

अनुबंध-I

नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर (एनपीपीसी) के तहत आने वाले जिले

-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अक्टूबर 2025 तक कार्यरत कुल ज़िलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	23
3	अरुणाचल प्रदेश	26
4	असम	35
5	बिहार	6
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ	14
8	दिल्ली	1
9	डीएनएच_डीडी	3
10	गोवा	2
11	गुजरात	41 (33 जिले और 8 नगर निगम)
12	हरियाणा	18
13	हिमाचल प्रदेश	12
14	झारखंड	18
15	कर्नाटक	31
16	केरल	14
17	लद्दाख	2
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	51
20	महाराष्ट्र	34
21	मणिपुर	16
22	मेघालय	11
23	मिजोरम	9
24	नागालैंड	3
25	ओडिशा	30
26	पुदुचेरी	0
27	पंजाब	4
28	राजस्थान	42
29	सिक्किम	4
30	तमिलनाडु	38
31	तेलंगाना	34
32	त्रिपुरा	8
33	जम्मू और कश्मीर	1
34	उत्तर प्रदेश	23
35	उत्तराखंड	13
36	पश्चिम बंगाल	27 + 1 (कोलकाता नगर निगम)
कुल	600	

अनुबंध- II

वर्ष 2024-25 के लिए राज्यवार बहिरंग रोगी, अंतरंग रोगी और गृह-आधारित उपशामक देखभाल सेवाएँ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या	घर पर मरीजों की संख्या	आईपीडी सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2871	2246	189
2	आंध्र प्रदेश	545312	266675	20483
3	अरुणाचल प्रदेश	4433	899	1617
4	असम	87836	19545	6812
5	बिहार	573318	37381	4693
6	चंडीगढ़	2410	296	161
7	छत्तीसगढ	252778	46731	15087
8	दिल्ली	35336	82	4112
9	गोवा	2728	1096	214
10	गुजरात	270459	73855	21996
11	हरियाणा	45316	15801	4515
12	हिमाचल प्रदेश	3281	1552	6298
13	जम्मू और कश्मीर	45786	6947	7355
14	झारखंड	23195	5379	2091
15	कर्नाटक	290681	56009	50985
16	केरल	1347566	977879	43939
17	लद्दाख	3289	2357	1025
18	लक्षद्वीप	923	386	136
19	मध्य प्रदेश	217403	89897	40532
20	महाराष्ट्र	539427	280553	68105
21	मणिपुर	5790	7744	592
22	मेघालय	8743	4049	3415
23	मिजोरम	7358	7473	475
24	नागालैंड	3621	2658	300
25	ओडिशा	223056	71370	37737
26	पुदुचेरी	12341	2039	193
27	पंजाब	19997	5095	2701
28	राजस्थान	71905	3143	9564
29	सिक्किम	4596	4598	164
30	तमिलनाडु	521641	258766	31583
31	तेलंगाना	152799	53322	22369
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1731	3113	311
33	त्रिपुरा	16424	19763	1444
34	उत्तराखंड	8108	2444	2535
35	उत्तर प्रदेश	368834	33832	35477
36	पश्चिम बंगाल	360777	152688	100851
	अखिल भारतीय	6082069	2517663	550056

*****